जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 244 वीं बैठक दिनांक 27.04.2017 को प्रात 11.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। एजेण्डा संख्या 2 से 6, अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक मास्टर प्लान व एजेण्डा संख्या 7 से 9, अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 2 से 7 वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी एलपी –प्रथम द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पुरूषोत्तम बियानी ,सचिव, जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती साधना शर्मा, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री बी.डी जाट,	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी	वरिष्ठ नगर नियोजक मास्टर प्लान–प्रथम
3. श्री मनोज कुमार	उपायुक्त जोन –5
4. श्री अशोक कुमार चौधरी	उपायुक्त जोन –8
5. श्री मधु सूदन पालीवाल	उपायुक्त जोन – 9
6. श्री राजकुमार सिंह	उपायुक्त जोन – 12
7. श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	उपायुक्त जोन – 14
8. सहायक नगर नियोजक	जोन –9,11,12,13, मास्टर प्लान
9. श्रीमती उषा जैन	सलाहकार, जनसम्पर्क

<u>एजेण्डा संख्या:–1 (244 / 27.04.2017)</u>

विषयः– बी.पी.सी (एलपी) की 243 वी बैठक दिनांक 11.03.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि बाबत।

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

<u>एजेण्डा संख्या:–2 (मास्टर प्लान / जोन–5)–(244 / 27.4.2017)</u>

विषय :– मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रघु विहार में भूखण्ड संख्या 10 के पूर्व दिशा में स्थित सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन की अनुशंषा के अनुसार सुविधा क्षेत्र में सृजित भूखण्ड क्षेत्रफल 406.00 वर्गगज का एण्ड यूज END USE " प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र" किया जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण मे आवंटन से संबंधित समस्त कार्यवाही इसके अनुसार की जावे।

<u>एजेण्डा संख्या:–3 (मास्टर प्लान / जोन–8)–(244 / 27.04.2017)</u>

विषय:–ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 338, 339, 342, 343, 314, 336, 337, 338 का पुर्नगठन कर मुख्यमंत्री जनआवास योजना के तहत ग्रुप हाउसिंग के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवासीय फ्लेटस व ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के पट्टा विलेख व साइट साईट प्लान का सर्मपण कराया जाकर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए पट्टा विलेख व साइट

प्लान जारी किया जावे। प्रकरण में नियमानुसार लेय समस्त राशियां ली जावे। जोन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि इस भूखण्ड का उपयोग मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए ही किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–4 (मास्टर प्लान / जोन–9)–(244 / 27.04.2017)

विषयः– ग्राम दांतली तहसील सांगानेर के खसरा नं. 267 क्षेत्रफल 5200 वर्ग मीटर में से 945.91 वर्ग मीटर, खसरा नं. 955 क्षेत्रफल 4800 वर्ग मीटर खसरा नं. 956 क्षेत्रफल 2200 वर्ग मीटर खसरा नं. 957 क्षेत्रफल 1400 वर्ग मीटर में से 1111.80 वर्ग मीटर, खसरा नं. 958 क्षेत्रफल 4900 वर्ग मीटर, खसरा नं. 959 क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर में से 4685.73 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल 18643.43 वर्ग मीटर भूमि का एकल पट्टा Integrated Residential School With Hostel Facility हेतु मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को 90 बी होने के पश्चात 160 फिट सडक क्षेत्र व सैक्टर कामर्शियल क्षेत्र के एवज में जो विकसित भूखण्ड दिये गये है, उनका व सडक के दोनो ओर उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल की पूर्ण गणना कर प्रकरण पूर्ण तथ्यों के साथ समिति की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–5 (मास्टर प्लान / जोन–9)–(244 / 27.04.2017)

विषयः–ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 312 रकबा 0.40 हैक्टेयर संपूर्ण खसरा नम्बर 313 रकबा 0.41 हैक्टेयर संपूर्ण खसरा नं. 324 रकबा 0.42 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर खसरा नं. 368 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 0.07 हैक्टेयर व खसरा नं. 639 रकबा 0.35 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर का आवासीय प्रयोजनार्थ मुख्यमंत्री जनआवास योजना के अर्न्तगत (एकल पट्टा) मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्याः–6 (मास्टर प्लान / जोन–13) –(244 / 27.04.2017)

विषयः–नगर निगम जयपुर को हिंगोनिया गौशाला हेतु राजस्व ग्राम हिंगोनिया तहसील बस्सी के खसरा नं. 772 रकबा 1.62 हैक्टेयर किस्म चारागाह 750 रकबा 38.52 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 25.00 हैक्टेयर खसरा नं. 752 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय 754 रकबा 2.00 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि व ग्राम कानडबास तहसील बस्सी के खरा नं. 94मिन रकबा 23.90 हैक्अेयर किस्म चारागाह कुल 52.57 हैक्टेयर (210 बीघा) भूमि हस्तांतरित करने हेतु गौशाला प्रयोजना भू–उपयोग अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में मास्टर विकास योजना 2025 के प्रावधानों के कम में पत्रावली के पैरा 266 / एन से 271 / एन पर दी गई टिप्पणी के परिपेक्ष में उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

एजेण्डा संख्याः–7 (जोन–11) –(244 / 27.04.2017)

विषयः–आवेदक मैसर्स आश्रय एमरल्ड जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री रामबाबू अग्रवाल पुत्र श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जयपुर द्वारा ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2080 / 690, 2081 / 694, 2082 / 695 कुल किता 3 रकबा 1.0251 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जनआवास योजना के तहत अर्फोडेबल हाउसिंग फ्लेट योजना (3ए के अर्न्तगत) हेतु एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2080 / 690, 2081 / 694, 2082 / 695 कुल किता 3 रकबा 1.0251 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जनआवास योजना के तहत अर्फोडेबल हाउसिंग फ्लेट योजना (3ए के अर्न्तगत) हेतु एकल पट्टा जारी किये जाने के सबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत आवेदित भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित किये जाने एवं जोन के प्रस्ताव अनुसार जन सुविधा हेतु आरक्षित 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य राशि लिये जाने के शर्त पर एकल पट्टा अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

सडक सीमा से प्रभावित भूमि का भौतिक कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा संभाल लिया जावे।

एजेण्डा संख्याः–8 (जोन–14) –(244 / 27.04.2017)

विषयः–श्रीराम बालाजी डवलपर्स एण्ड इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्रीराजकुमार माथुर द्वारा ग्राम बडी का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 107 रकबा 0.41 हैक्टेयर खसरा नं. 108 रकबा 0.73 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 113 रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.69 हैक्टेयर भूमि पर यमुख्यमंत्री जनआवास योजना 2015 के प्रोविजन 3–ए के अर्न्तगत एकल पट्टा मानचित्र अनुमोदन बाबत।

ग्राम बडी का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 107 रकबा 0.41 हैक्टेयर खसरा नं. 108 रकबा 0.73 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 113 रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.69 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री

जनआवास योजना 2015 के प्रोविजन 3–ए के अर्न्तगत एकल पट्टा जारी किये जाने के सबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत आवेदित भूमि में से एचटी लाईन के सहारे स्थित सडक एवं आवेदित भूमि के उत्तरी ओर विद्यमान सडक सीमा में निहित होने वाली भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने एवं जोन के प्रस्ताव अनुसार जन सुविधा हेतु आरक्षित 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य राशि लिये जाने की शर्त पर एकल पट्टा अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

सडक सीमा से प्रभावित भूमि का भौतिक कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा संभाल लिया जावे।

एजेण्डा संख्याः–9 (जोन–14)–(244/27.04.2017)

विषयः– निजी खातेदारी की योजना हनुमान वाटिका ए–7 के भूखण्ड संख्या 18, 18ए 19, 20 एवं 20ए के पुर्नगठन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि निजी खातेदारी की योजना हनुमान वाटिका ए–7 के भूखण्ड संख्या 18, 18ए 19, 20 एवं 20ए का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 3–ए अर्न्तगत पुर्नगठन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–1 (जोन–9) – (244/27.04.2017)

विषय :–ग्राम चक सालिगरामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 46/182, 51, 52, 57 कुल किता 4 रकबा 1.45 हैक्टेयर में स्थित आवासीय एकल पट्टा भूखण्ड संख्या ए क्षेत्रफल 4327.76 वर्ग गज व सडक क्षेत्र में जाने वाली भूमि 2291.52 वर्ग गज निःशुल्क जविप्रा को समर्पित इस प्रकार कुल 6619.28 वर्ग गज (5531.50 वर्ग मीटर) भूमि की संशोधित लीजडीड मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोविजन 3ए में अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा एजेन्डा प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रभावी भवन विनियम के प्रावधाना 8.8. (iii) के कम में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए भूखण्ड के क्षेत्रफल में सडक के लिए निःशुल्क समर्पित क्षेत्र का समावेश किया जाने बाबत राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय हेतु लिखा जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–2 (जोन–12) –(244/27.04.2017)

विषय :–निजी खातेदारी की आवासीय योजना कनक वृन्दावन आई ब्लॉक में नियमानुसार देय इन्फोरमल कॉमर्शियल शॉप को उसी खातेदार की अन्य अनुमोदित योजना कनक वृन्दावन ए एण्ड बी में दिये जाकर योजना अनुमोदन के सबंध में।

निजी खातेदारी की आवासीय योजना कनक वृन्दावन आई ब्लॉक में केवल एक ही सडक 9 मीटर की प्रस्तावित है। प्रस्तावित योजना से लगती हुई आवेदक की अन्य योजना कनक वृन्दावन ए, बी, सी, में दक्षिण पश्चिम दिशा में भविषय विस्तार हेतु भूमि आरक्षित है जिस पर आवेदक द्वारा इस योजना का इन्फोरमल कॉमर्शियल शॉप का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निजी खातेदारी की आवासीय योजना कनक वृन्दावन आई ब्लॉक में नियमानुसार देय इन्फोरमल कॉमर्शियल शॉप को उसी खातेदार की अन्य अनुमोदित योजना कनक वृन्दावन ए एण्ड बी में दिया जाकर प्रस्तावित योजना मानचित्र का अनुमोदन किया जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–3 (जोन–12) – (244/27.04.2017)

विषय :– राजस्व ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 130/1, 131/1 कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा में से 400 वर्ग मीटर (20X20) पर व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ कार्यवाही हेतु बीपीसी एलपी में रखे जाने हेतु एजेण्डा नोट।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण को स्थगित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–4 (जोन–12) –(244/27.04.2017)

विषय :–ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के खसरा नं. 490 रकबा 0.06 बिस्वा, खसरा नं. 491 रकबा 0.06 बिस्वा, खसरा नं. 492 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा खसरा नं. 493 रकबा 0.06 बिस्वा एवं खसरा नं. 498/2 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अर्न्तगत एकल पट्टा जारी करने बाबत्।

ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के खसरा नं. 490 रकबा 0.06 बिस्वा, खसरा नं. 491 रकबा 0.06 बिस्वा, खसरा नं. 492 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा खसरा नं. 493 रकबा 0.06 बिस्वा एवं खसरा नं. 498/2 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अर्न्तगत एकल पट्टा जारी किये जाने के सबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि में से सडक सीमा में निहित होने

वाली भूमि एवं सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 10122.60 वर्ग मीटर भूमि का एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

सुविधा क्षेत्र एवं सडक सीमा से प्रभावित भूमि का भौतिक कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा संभाल लिया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः—5 (जोन—13)—(244 / 27.04.2017)

विषय :— राजस्व ग्राम खोराश्यामदास तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नं. 933/1 रकबा 0.1225 हैक्टेयर में से 0.1020 वर्ग मीटर भूमि का किसान सेवा केन्द्र (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ अनुमोदन की कार्यवाही बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मास्टर विकास योजना 2025 चौंप सैटेलाईट टाउन में आवेदित भूमि के सामने 30 मीटर चौडी सडक स्वीकृत है जिसको दृष्टिगत रखते हुये 30 मीटर चौडी सडक मानते हुये राजस्व ग्राम खोराश्यामदास तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नं. 933/1 रकबा 0.1225 हैक्टेयर में से 0.1020 वर्ग मीटर भूमि पर किसान सेवा केन्द्र (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा भूखण्ड पर से गुजर रही एच0टी0 लाईन को आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर हटवाये जाने के पश्चात् जारी किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः—6 (जोन—11)—(244 / 27.04.2017)

विषय :— राजस्व ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 7/448 रकबा 0.12 हैक्टेयर खसरा नं. 09 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नं. 10 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 11 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 25 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नं. 28 रकबा 0.18 कुल किता 06 रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जनआवास योजना के तहत अर्फोडेबल हाउसिंग फ्लेट योजना (3ए के अर्न्तगत) हेतु एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

राजस्व ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 7/448 रकबा 0.12 हैक्टेयर खसरा नं. 09 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नं. 10 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 11 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 25 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नं. 28 रकबा 0.18 कुल किता 06 रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जनआवास योजना के तहत अर्फोडेबल हाउसिंग फ्लेट योजना (3ए के अर्न्तगत) हेतु एकल पट्टा अनुमोदन जारी किये जाने के सबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि में से आवेदक के कब्जे से बाहर की भूमि को छोडने के पश्चात् शेष भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित की जावे तथा जन सुविधा हेतु 5 प्रतिशत क्षेत्र के समतुल्य राशि अथवा नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.04.2017 के अनुरूप कार्यवाही जोन स्तर पर सुनिश्चित की जाकर शेष भूमि का एकल पट्टा अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

सडक सीमा से प्रभावित भूमि का भौतिक कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा संभाल लिया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः—7 (जोन—13)—(244 / 27.04.2017)

विषय :— राजस्व ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के खसरा नं. 690 रकबा 5 बीघा भूमि की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 3—ए के अर्न्तगत आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करने बाबत्।

राजस्व ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के खसरा नं. 690 रकबा 5 बीघा भूमि की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 3—ए के अर्न्तगत आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी किये जाने के सबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रश्नगत भूमि जिस सडक पर स्थित है उस सडक पर जविप्रा द्वारा पूर्व में निजी खातेदारी की योजना ओबीसी स्वीकृत की गई है। उक्त योजना में सडक को 100' स्वीकृत किया गया है जिसको दृष्टिगत रखते हुये इस सडक को 100' चौडी रखी जावे तथा आवेदित भूमि में से 100' एवं 80' सडक सीमा में निहित होने वाली भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने एवं 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के समतुल्य राशि लिये जाने की शर्त पर शेष भूमि पर एकल पट्टा अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

सडक सीमा से प्रभावित भूमि का भौतिक कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा संभाल लिया जावे।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

कमांकः जविप्रा / स.स. / बी.पी.सी. (एल.पी.) / 2017 / डी–42 दिनांकः– 02/05/2017

प्रतिलिपी सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व / पश्चिम / पीआरएन / एल.पी.सी–भूमि) जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी एलपी) प्रथम / द्वितीय
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) प्रथम / द्वितीय जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन 1 से 14 एव पृथ्वीराज नगर उत्तर / दक्षिण जविप्रा, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)